नम्बर व...
हकाय जो...
तारीख व...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 91/2020/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1 चूकी देवी पत्नि स्व0 रामेश्वर लाल गुर्जर
2 सरोज देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर लाल
3 दिनेश कुमार गुर्जर पुत्र स्व0 रामेश्वर लाल गुर्जर
4 विकेश कुमार गुर्जर पुत्र स्व0 रामेश्वर लाल गुर्जर

समस्त जाति गुर्जर निवासीगण वार्ड नम्बर 9 ग्राम रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—प्रार्थीगण

ब ना म

राज्य सरकार जरियेः तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य   दिनांक — 21.02.2022

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख.नं. 2838 ता 2841 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2858 से 2861, 2865, 2866 कुल किता 8 कुल रकबा 6.2700 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2788, 2789, 2793, 2851, 2852, 2856, 2862 से 2864 किता 9 कुल रकबा 17.9500 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 2837, 2843, 2844, 2845 कुल किता 6 कुल रकबा 6.6100 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि ख.नं. 2968 किता 1 कुल रकबा 3.7200 हैक्टेयर तन ग्राम प्रेमसिंहपुरा पटवार हल्का रैवासा एवं कृषि भूमि ख.नं. 2366/3408 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर तन ग्राम रैवासा पटवार हल्का रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित रही है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 रामेश्वर लाल की मृत्यु काफी वर्ष पूर्व हो चुकी है। प्रार्थीगण की विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी संख्या 2 ता 4 नाबालिग अवस्था में थे। वाद—पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों में प्रार्थीनी संख्या एक का गलत नाम चूँका देवी दर्ज है। प्रार्थीया संख्या 2 का गलत नाम जीवा

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

देवी दर्ज है। प्रार्थी संख्या 3 का गलत नाम धनेश कुमार दर्ज है एवं प्रार्थी संख्या 4 का गलत नाम विकास दर्ज है जबकि प्रार्थीगण के पहचान के दस्तावेजात में प्रार्थीगण का सही नाम प्रार्थना पत्र के अनुसार है। कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड व पहचान के दस्तावेजों में नाम की भिन्नता के कारण प्रार्थीगण राज्य व केन्द्र सरकार की कृषि/खेती बाडी की सरकारी सहायता से वंचित है तथा अपनी खातेदारी भूमियों के विकास के लिए किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त भी नहीं कर सकते। प्रार्थीगण का सही व वास्तविक नाम क्रमशः चूँकी देवी पत्नि रामेश्वर लाल, सरोज देवी पुत्री रामेश्वर लाल, दिनेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल व विकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल है जो कि उनके समस्त पहचान के दस्तावेजात यथाः– परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, बैंक खाता, विघालय रिकार्ड एवं अन्य समस्त रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में प्रार्थीगण का नाम गलती एवं सहवन से चूँका देवी, जीवा देवी, धनेश कुमार एवं विकास दर्ज हो रखा है जो गलत है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है व प्रार्थीगण को यह रिकार्ड दुरूस्ती का आवेदन पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण कई बार–बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बधित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुके है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है। सम्बंधित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थीगण के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10–12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदकगण का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर ख.नं. 2838 ता 2841 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2858 से 2861, 2865, 2866 कुल किता 8 कुल रकबा 6.2700 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2788, 2789, 2793, 2851, 2852, 2856, 2862 से 2864 किता 9 कुल रकबा 17.9500 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 2837, 2843, 2844, 2845 कुल किता 6 कुल रकबा 6.6100 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि ख.नं. 2968 किता 1 कुल रकबा 3.7200 हैक्टेयर तन ग्राम प्रेमसिंहपुरा पटवार हल्का रैवासा एवं कृषि भूमि ख.नं. 2366/3408 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर तन ग्राम रैवासा पटवार हल्का रैवासा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीगण का नाम चुकादेवी के स्थान पर चुंकी देवी, जीवा देवी के स्थान पर सरोज देवी,

उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ

धनेश कुमार के स्थान पर दिनेश कुमार, विकास के स्थान पर विकेश कुमार दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना के प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गयी। वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीगण का नाम चुकादेवी के स्थान पर चुंकी देवी, जीवा देवी के स्थान पर सरोज देवी, धनेश कुमार के स्थान पर दिनेश कुमार, विकास के स्थान पर विकेश कुमार दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया तथा आवेदनपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट में अंकन किया कि खसरा नम्बर ख.नं. 2838 ता 2841 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2858 से 2861, 2865, 2866 कुल किता 8 कुल रकबा 6.2700 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2788, 2789, 2793, 2851, 2852, 2856, 2862 से 2864 किता 9 कुल रकबा 17.9500 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 2837, 2843, 2844, 2845 कुल किता 6 कुल रकबा 6.6100 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि ख.नं. 2968 किता 1 कुल रकबा 3.7200 हैक्टेयर तन ग्राम प्रेमसिंहपुरा पटवार हल्का रैवासा एवं कृषि भूमि ख.नं. 2366/3408 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर तन ग्राम रैवासा पटवार हल्का रैवासा के तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में प्रार्थीगण के नाम चुकादेवी, जीवादेवी, धनेश कुमार, विकाश दर्ज है जबकि मुताबिक दस्तावेज एवं मौके पर उपस्थित मौतबिरान से पुछताछ के अनुसार प्रार्थीगण के सही नाम चुकीदेवी, सरोजदेवी, दिनेश कुमार व विकेश कुमार है। अतः प्रार्थीगण सहखातेदारों के नामों का शुद्धिकरण किया जाना उचित है। तहसीलदार दांतारामगढ एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार योग्य है। प्रार्थीगण का आवेदन रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर ख.नं. 2838 ता 2841 कुल किता 4 कुल रकबा 1.3300 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2858 से 2861, 2865, 2866 कुल किता 8 कुल रकबा 6.2700 हैक्टेयर व कृषि भूमियॉ ख.नं. 2788, 2789,

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

2793, 2851, 2852, 2856, 2862 से 2864 किता 9 कुल रकबा 17.9500 हैक्टेयर एवं कृषि भूमियॉ ख.नं. 2837, 2843, 2844, 2845 कुल किता 6 कुल रकबा 6.6100 हैक्टेयर तथा कृषि भूमि ख.नं. 2968 किता 1 कुल रकबा 3.7200 हैक्टेयर तन ग्राम प्रेमसिंहपुरा पटवार हल्का रैवासा एव कृषि भूमि ख.नं. 2366/3408 रकबा 0.4000 हैक्टेयर किता 1 कुल रकबा 0.4000 हैक्टेयर तन ग्राम रैवासा पटवार हल्का रैवासा में दर्ज प्रार्थीगण चुंकादेवी के स्थान पर चुंकी देवी, जीवा देवी के स्थान पर सरोज देवी उर्फ जीवा देवी, धनेश कुमार के स्थान पर दिनेश कुमार व विकास के स्थान पर विकेश कुमार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमावंदी बदस्तूर रहे। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ